

624

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक-पि०व०/विविध-25-20/2017-94, पटना, दिनांक-18/11/2025,

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत राज्य में वर्तमान में संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनार्थ कुल राशि रु० 5,61,15,854/- (रु० पाँच करोड़ इकसठ लाख पन्द्रह हजार आठ सौ चौवन) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेश-स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत वर्तमान में राज्य में संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनार्थ विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-61, दिनांक-02.07.2025 के द्वारा प्रथम चार माह के लिए कुल राशि रु० 2,80,57,946/- (दो करोड़ अस्सी लाख सत्तावन हजार नौ सौ छियालिस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है उक्त के आलोक में उक्त योजना हेतु शेष आठ माह के लिए संलग्न विवरणी के अनुसार कार्यालय व्यय (1301) मद में कुल राशि रु० 1,09,94,654/- (रु० एक करोड़ नौ लाख चौरानवे हजार छः सौ चौवन) मात्र तथा संविदा सेवाएँ (2802) मद में कुल राशि रु० 4,51,21,200/- (रु० चार करोड़ इक्यावन लाख इक्कीस हजार दो सौ) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 5,61,15,854/- (रु० पाँच करोड़ इकसठ लाख पन्द्रह हजार आठ सौ चौवन) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत मांग संख्या-11- के मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष- 13.01, कार्यालय व्यय तथा 28.02, संविदा सेवायें" विपत्र कोड-11-2225-03-277-0101 के अधीन विकलनीय होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी०एल० खाता संख्या-PTSPLA007 में Ledger Name- Pre Examination Training Centre Schemes में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

4-विभागीय संकल्प संख्या-3000 दिनांक-01.12.2016, संकल्प संख्या-338, दिनांक-13.02.2018 एवं संकल्प संख्या-2735, दिनांक-13.12.2022 के आलोक में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 60-60 विद्यार्थियों के दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 6-6 माह) संचालित कराये जाएँगे। इस प्रकार एक वर्ष में एक केन्द्र पर 240 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जायेगी।

5- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, संकल्प ज्ञापांक-3808 दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8-प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

9- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वसभाजन

(अनिल कुमार ठाकुर),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/विविध-25-20/2017-94

पटना, दिनांक- 18/11/2025.

प्रतिलिपि:- (1) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर सचिव/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/विविध-25-20/2017-94

पटना, दिनांक- 18/10/2025.

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

(522)

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी:-

विपत्र कोड-11-2225-03-277-0101

वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र०सं०	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	13.01, कार्यालय व्यय	28.02 संविदा सेवाएँ	कुल
1	पटना (पटना विश्वविद्यालय, पटना)	289333.00	1187400.00	1476733.00
2	पटना (ए०एन० कॉलेज, पटना)	289333.00	1187400.00	1476733.00
3	मुजफ्फरपुर	289333.00	1187400.00	1476733.00
4	गया	289333.00	1187400.00	1476733.00
5	सारण (छपरा)	289333.00	1187400.00	1476733.00
6	दरभंगा	289333.00	1187400.00	1476733.00
7	भागलपुर	289333.00	1187400.00	1476733.00
8	मोजपुर (आरा)	289333.00	1187400.00	1476733.00
9	मधेपुरा	289333.00	1187400.00	1476733.00
10	पूर्णियाँ	289333.00	1187400.00	1476733.00
11	सहरसा	289333.00	1187400.00	1476733.00
12	मुंगेर	289333.00	1187400.00	1476733.00
13	मधुबनी	289333.00	1187400.00	1476733.00
14	वैशाली (हाजीपुर)	289333.00	1187400.00	1476733.00
15	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	289333.00	1187400.00	1476733.00
16	प० चम्पारण (बेतिया)	289333.00	1187400.00	1476733.00
17	नालंदा (बिहार शरीफ)	289333.00	1187400.00	1476733.00
18	सासाराम (रोहतास)	289333.00	1187400.00	1476733.00
19	कैमूर (ममुआ)	289333.00	1187400.00	1476733.00
20	बक्सर	289333.00	1187400.00	1476733.00
21	सीवान	289333.00	1187400.00	1476733.00
22	गोपालगंज	289333.00	1187400.00	1476733.00
23	सीतामढ़ी	289333.00	1187400.00	1476733.00
24	अररिया	289333.00	1187400.00	1476733.00
25	किशनगंज	289333.00	1187400.00	1476733.00
26	लखीसराय	289333.00	1187400.00	1476733.00
27	तेखपुरा	289333.00	1187400.00	1476733.00
28	जमुई	289333.00	1187400.00	1476733.00
29	सुपौल	289333.00	1187400.00	1476733.00
30	बेगूसराय	289333.00	1187400.00	1476733.00
31	बांका	289333.00	1187400.00	1476733.00
32	नवादा	289333.00	1187400.00	1476733.00
33	समस्तीपुर	289333.00	1187400.00	1476733.00
34	खगड़िया	289333.00	1187400.00	1476733.00
35	औरंगाबाद	289333.00	1187400.00	1476733.00
36	जहानाबाद	289333.00	1187400.00	1476733.00
37	नालंदा (राजगीर)	289333.00	1187400.00	1476733.00
38	कटिहार	289333.00	1187400.00	1476733.00
	कुल	10994654.00	45121200.00	56115854.00

(रु० पाँच करोड़ इकसठ लाख पन्द्रह हजार आठ सौ चौवन) मात्र

पत्रांक- 94.

दिनांक- 18/11/2025 का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव

